भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं0 2/1/एनसीएसटी/2014-हिन्दी

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, न दिल्ली-110003
6TH Floor, 'B' Wing,
Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

दिनांक : 13/12/2017

विषयः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की दिनांक 11.12.2017 को हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 11-12-2017 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोग के सम्मेलन कक्ष मे आयोजित की गई। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त सभी संबंधितों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है। अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों/संस्तुतियों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई से हिंदी एकक को दिनांक 20-12-2017 तक अवगत करवाया जाए।

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक (रा0भा0)

सेवा में,

1. समिति के सभी सदस्य।
2. सभी एकक प्रभारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

प्रतिलिपि :-

1. सचिव का कार्यालय।
2. संयुक्त सचिव का कार्यालय।
3. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
4. सहायक निदेशक (रा.भा.), जनजातीय कार्य मंत्रालय, 240, अगस्त क्रांति भवन, नई दिल्ली।
5. उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय (क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, दिल्ली) ए - 145, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 11-12-2017 को हुई बैठक का कार्यवृत्त।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 11-12-2017 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची संलग्नक में उपलब्ध है।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव महोदय ने बैठक में उपस्थित अध्यक्ष महोदय तथा सभी सदस्यों का स्वागत किया। सदस्य सचिव ने राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में देख-रेख करने वाली चारों समितियों की जानकारी दी। सदस्य सचिव महोदय ने बैठक में वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा आरंभ की। उन्होंने उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया कि चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 'क' क्षेत्र में स्थित है, अत: यहां से 'क' व 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के साथ हिन्दी में मूल पत्राचार शत-प्रतिशत किए जाने की अपेक्षा है तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के साथ हिन्दी में मूल पत्राचार का लक्ष्य 65 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। अध्यक्ष महोदय ने तिमाही बैठकों के आयोजन के बारे में जानकारी चाही। इस पर सदस्य सचिव महोदय ने अवगत कराया कि वर्ष में चार तिमाही बैठकें आयोजित करके आयोग में राजभाषा हिन्दी के सुचारू कार्यान्वयन के बारे में चर्चा की जाती है एवं चर्चा के आधार पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार, सदस्य सचिव द्वारा कार्यसूची की मदों पर मदवार कार्रवाई आरम्भ की गई जो निम्नानुसार है :-

मद सं0 1. **आयोग की दिनांक 29-08-2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करना।**

आयोग की दिनांक 29-08-2017 को हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त, जिसे दिनांक 07-09-2017 को सभी संबंधितों को परिचालित किया गया था, पर निम्नानुसार चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पुष्टि की गई:-

1.1 अंग्रेजी जानने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटरों से हिन्दी में कार्य लेने के संबंध में चर्चा हुई। इस पर अध्यक्ष महोदय ने एनआईसी के प्रतिनिधि को बुलाकर जानकारी मांगी कि आयोग में कितने कम्प्यूटर हैं एवं इनमें से कितने कम्प्यूटरों में हिन्दी फॉन्ट डाला गया है और कितने कम्प्यूटरों में हिन्दी फॉन्ट डालना शेष है, उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। सदस्य सचिव महोदय ने जानकारी दी कि कम्प्यूटर पर हिन्दी में कार्य करना सुगम बनाने के लिए आयोग में विगत समय में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था। अध्यक्ष महोदय ने यह भी निर्देश दिया कि जिन कम्प्यूटरों में अब तक हिन्दी फॉन्ट नहीं डाला गया है उनमें शीघ्र हिन्दी फॉन्ट डाल दिया जाए ताकि डाटा एंट्री ऑपरेटर हिन्दी में कार्य कर सके। **(कार्रवाई- एनआईसी)**

1.2 आयोग के अधीनस्थ कार्यालयों के वर्ष में राजभाषा संबंधी निरीक्षणों के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने क्षेत्रीय कार्यालय रांची, भुवनेश्वर और भोपाल का राजभाषा निरीक्षण करने के लिए दौरा कार्यक्रम बनाने हेतु सहायक निदेशक (रा.भा.) को निर्देश दिए। **(कार्रवाई- हिन्दी अनुभाग)**

मद सं0 2 **आयोग की दिनांक 29-08-2017 को हुई पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण।**

2.1 राजभाषा नियम 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन के संबंध में स्थिति संतोषजनक है। विभिन्न एककों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के अनुसार धारा 3(3) जो सामान्य आदेश, ज्ञापन, नोटिस, संकल्प, प्रतिवेदन, टेन्डर आदि के द्विभाषी रूप में जारी करने से संबंधित है, का अनुपालन हो रहा है।

मद सं0 3 **आयोग के मुख्यालय के विभिन्न एककों से प्राप्त दिनांक 30-09-2017 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना।**

3.1 अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न एककों की हिन्दी प्रगति के संबंध में कहा कि आयोग मुख्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित है, अतः विभिन्न एककों की हिन्दी पत्रों की प्रतिशतता में सुधार की आवश्यकता है। आयोग के मुख्यालय की तिमाही प्रगति रिपोर्टों पर चर्चा के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि हिन्दी पत्राचार में अनुसंधान एकक-III का कार्य निष्पादन सबसे ज्यादा संतोषजनक है। यह देखा गया कि समन्वय एकक एवं स्थापना एकक में हिन्दी पत्राचार की प्रतिशतता सबसे कम है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने इन एककों के प्रभारी अधिकारी को इसमें सुधार के निर्देश दिए। हिन्दी में पत्राचार को शत-प्रतिशत लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से अधिकाधिक पत्र व्यवहार हिन्दी में करने का ईमानदार प्रयास करने के लिए कहा। **(कार्रवाई: आयोग के सभी एकक)**

मद सं0 4 **आयोग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त दिनांक 30-09-2017 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना।**

4.1 बैठक में 30-09-2017 को समाप्त तिमाही की सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की गई। तिमाही रिपोर्टों के संबंध में चर्चा के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि क्षेत्रीय कार्यालयों भुवनेश्वर, रांची और शिलांग में हिन्दी पत्राचार की प्रतिशतता काफी कम है। अध्यक्ष महोदय ने सदस्य सचिव महोदय को इस संबंध में उक्त कार्यालयों को हिन्दी पत्रों की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए पत्र भेजने का निर्देश दिया। **(कार्रवाई: हिन्दी एकक)**

मद सं0 5 **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य मद।**

5.1 बैठक में आयोग में हिन्दी पत्राचार की स्थिति पर भी चर्चा की गयी। अध्यक्ष महोदय ने हिन्दी पत्राचार को राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। हिन्दी पत्राचार बढ़ाने के लिए हिन्दी अनुभाग द्वारा सतत् निरीक्षण करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। **(कार्रवाई: आयोग के सभी एकक)**

5.2 बैठक में अध्यक्ष महोदय ने यह जानना चाहा कि आयोग की वेबवाइट हिन्दी में है या नहीं। इस संबंध में सदस्य सचिव महोदय ने जानकारी दी कि आयोग की वेबसाइट आंशिक रूप से हिन्दी में है एवं इसे पूर्णतः द्विभाषी बनाने पर काम चल रहा है। **(कार्रवाई: हिन्दी एकक एवं एनआईसी)**

5.3 अध्यक्ष महोदय ने संबंधित विभागों को जारी किये जाने वाले नोटिस हिन्दी में भेजे जाने के बारे में जानकारी चाही। इस पर सदस्य सचिव महोदय ने जानकारी दी कि नोटिस का प्रपत्र हिन्दी में तैयार किया हुआ है एवं उसी के अनुसार नोटिस भेजे जाते हैं। **(कार्रवाई: आयोग के सभी एकक)**

5.4 राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने सदस्य सचिव महोदय को निर्देश दिए कि वे आयोग में राजभाषा हिन्दी के सुचारू कार्यान्वयन के लिए आयोग का वार्षिक कार्यक्रम बनाए। **(कार्रवाई: हिन्दी एकक)**

5.5 बैठक में सदस्य सचिव महोदय ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि आयोग मुख्यालय एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालय राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित है क्योंकि आयोग के 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं। अतः आयोग में तैयार होने वाली रिपोर्टें, बैठकों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त आदि मूल रूप से हिन्दी में बनाया जाना अपेक्षित है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने भविष्य में दौरा रिपोर्ट, बैठकों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त आदि मूल रूप से हिन्दी में ही तैयार करने के लिए सभी एकक प्रभारियों को निर्देश दिए। अपवाद रूप में केवल सारांश अंग्रेजी में तैयार किया जा सकता है ताकि अहिन्दी भाषी अधिकारियों को प्रकरण को समझने में आसानी हो।
(कार्रवाई: आयोग के सभी एकक)

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त हुई।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक दिनांक 11-12-2017 को पूर्वाह्न 10:30 बजे हुई बैठक की उपस्थिति शीट

क्र.सं.	नाम	पदनाम	
1.	श्री शिशिर कुमार रथ	संयुक्त सचिव	अध्यक्ष
2.	श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी	उप सचिव	सदस्य
3.	श्री दिलीप एस कुंभारे	अवर सचिव	सदस्य
4.	श्री एस.पी. मीना	सहायक निदेशक	सदस्य
5.	श्री आर.के. दूबे	सहायक निदेशक	सदस्य
6.	श्री हरि राम मीना	वरिष्ठ अन्वेषक	उपस्थित
7.	श्री देवीलाल मीणा	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	उपस्थित
8.	श्री अनिल कुमार कोईरी	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	उपस्थित
9.	श्री संजय कुमार गुप्ता	एसएएस-एनआईसी	उपस्थित
10.	श्री राजेश्वर कुमार	सहायक निदेशक (रा. भा.)	सदस्य सचिव